न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री प्रमोद कुमार,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या – 24 / 2023

प्रार्थीगण	बनाम विप्रार्थीगण
1. तुलसीदेवी पुत्री खेताराम पत्नि आसूराम उम्र 53 वर्ष जाति जाट निवासी धोलाडेर तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर हाल निवासी केरलीवास चवा तहसील बाड़मेर 2. रूखमोदेवी पुत्री खेताराम उम्र 50 वर्ष जाति जाट निवासी धोलाडेर खरटीया तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर। हाल निवासी पूनियो की बस्ती तहसील व जिला बाड़मेर	1 बालीदेवी पत्नि खेताराम उम्र 77 वर्ष 2 जगराम पुत्र खेताराम उम्र 64 वर्ष 3 प्रहलादराम पुत्र खेताराम उम्र 57 वर्ष 4 मोटाराम पुत्र खेताराम उम्र 55 वर्ष 5 अणदाराम पुत्र मोटाराम उम्र 24 वर्ष 6 लालाराम पुत्र मोटाराम उम्र 28 वर्ष 7 बगताराम पुत्र मोटाराम उम्र 34 वर्ष जातियान जाट निवासीयान धोलाडेर (खरंटिया) तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर। 8. तहसीलदार, सिणधरी ।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री जोगराज पोटलिया अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 1, 4 से 7
3. विप्रार्थी सं. 08 के पैरोकार सरकार उप0।
4. शेष विप्रार्थीगण एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 23.01.2024

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि कि प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता पाने हेतु प्रस्तुत किया है जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। कि प्रार्थीनीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 का संयुक्त खातेदारी का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल खरंटिया के ग्राम धोलाडेर के खसरा नम्बर 33, 34, 341, 34/2, 34/3 रकबा क्रमशः 0.0243, 27.5060, 6.9493, 0.0647, 0.2670 हेक्टेयर का आया हुआ है। उक्त आराजी प्रार्थीनीगण व विप्रार्थी संख्या 2 से 4 के पिता, विप्रार्थी संख्या 1 के पति स्व. खेताराम के नाम वक्त भू–प्रबन्ध खातेदारी में अंकित हुई। प्रार्थीनीगण के पिता स्व. खेताराम के देहान्त होने पर उनके प्रथम श्रेणी की वारिशान होने पर हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 6 व 8 व [illegible] काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार सह खातेदार हो गयी। [illegible] उत्तराधिकारी का ग्राम धोलाडेर के नामान्तकरण संख्या 14/16.09.2010 [illegible] खाता आकर तस्दीक हुआ इसका ज्ञान प्रार्थीनीगण को नहीं है और न ही प्रार्थीनी[illegible] को पंचायत के द्वा[illegible]सत के नामान्तकरण की जांच बाबत कोई नोटिस प्राप्त हुआ, स्व. खेताराम के फौतगी का नामान्तकरण विप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने पटवारी से मिलकर प्रार्थीनीगण को वारिसान न बताकर गलत व अवैध रूप से अपने नाम से तस्दीक करवाया गया जो खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:40:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

6 प्रार्थीनीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 का अपने हिस्सेनुसार कब्जा व काश्त है तथा इसी तरह से मौके पर अन्य पक्षकारान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन प्रार्थीनीगण अनपढ़ व औरत जात होने के कारण इतने दिनों तक उन्हें अपना नाम खातेदारी मे दर्ज नही होने का ज्ञान नहीं रहा और न ही विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 ने प्रार्थीनी के कब्जा –काश्त मे किसी प्रकार की दखलंदाजी की आज से करीबन 1 माह पूर्व विप्रार्थी 1 से 4 ने अपने नाम से प्रविष्ट का अनुचित लाभ उठाते हुऐ वादग्रस्त आराजी में से कुछ भूमि का बेचान करने पर उतारू हुए. तब प्रार्थीनीगण ने विरोध किया तो उक्त विप्रार्थीनी संख्या 1 व 4 ने धमकी दी और कहा कि उक्त अराजी हमारी है हमें बेचने/दान करने से कोई नहीं रोक सकता है हम बेचान/दान करेगे. तब प्रार्थीनीगण ने पटवारी से सम्पर्क कर अपने खेत के राजस्व रेकर्ड की नकले ली तब पता चला की प्रार्थीनीगण का नाम रेकर्ड में दर्ज नहीं है तब प्रार्थीनीगण ने गांव के मौजीज लोगों से पंचायती करवाई तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 4 को अपने साथ प्रार्थीनीगण का नाम दर्ज करवाने को कहा तब विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 ने प्रार्थीनीगण का नाम खातेदारी में दर्ज करने का आश्वासन दिया. उसके बाद विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 प्रार्थीनीगण का नाम दर्ज करवाने का आश्वासन देते रहे परन्तु नाम दर्ज नहीं करवाया आज से 15 रोज पूर्व विप्रार्थी संख्या 1 ने खेत खसरा संख्या 34, 34/1 में सम्पूर्ण आराजी का बेचान विप्रार्थी संख्या 5 से 7 को दिनांक 19.01.2023 को दस्तावेज संख्या 202301081000235 का दान कर कर प्रार्थीनीगण को बेदखल करने की धमकी दी तब प्रार्थीनीगण ने माननीय न्यायालय में खातेदारी की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया। अतः प्रार्थीनीगण की ओर से अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि साफैसला दावा, अस्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीनीगण विरूद्ध विप्रार्थी संख्या 1 से 7 इस आशय की जारी फरमावें कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल खरंटिया के ग्राम धोलाडेर के खसरा नम्बर 33, 34, 34/1, 34/2, 34/3 रकबा क्रमशः 0.0243, 27.5060, 6.9493, 0.0647, 0.2670 हेक्टेयर में प्रार्थीनीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलअन्दाजी करें, और न ही अन्य किसी तरीके से प्रार्थीनीगण के खेत को नुकसान पहुंचावे, न ही वादग्रस्त भूमि का बेचान/दान करें, ताफैसला मूल वाद राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति रखे जाने का हुक्म फरमावें।

प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं. 11 तरफ से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। विप्रार्थी सं. 1 व 4 से 7 के अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया तथा शेष विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी के वकील ने अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि प्रार्थीनीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 का संयुक्त [illegible] पटवार मण्डल खरंटिया के ग्राम धोलाडेर के खसरा नम्बर 33, 34, 341, [illegible] 34[illegible] रकबा क्रमशः 0.0243, 27.5060, 6.9493, 0.0647, 0.2670 हेक्टेयर की आया हुआ है [illegible] प्रार्थीनीगण व विप्रार्थी संख्या 2 से 4 के पिता, विप्रार्थी संख्या 1 के [illegible] के नाम वक्त भू–प्रबन्ध खातेदारी में अंकित हुई। प्रार्थीनीगण के पिता स्व. खेताराम के [illegible]त होने पर उनके प्रथम श्रेणी की वारिशान होने पर हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 6 व 8 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार सह खातेदार हो गयी। स्व. खेताराम के देहान्त पर उत्तराधिकारी का ग्राम धोलाडेर के नामान्तकरण संख्या 14/16.09.2010 किसकी सूचना पर खोला जाकर तस्दीक हुआ इसका ज्ञान प्रार्थीनीगण को नहीं है और न ही प्रार्थीनीगण को पंचायत के द्वारा विरासत के नामान्तकरण की जांच बाबत कोई नोटिस प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:40:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

आ, स्व. खेताराम के फौतगी का नामान्तकरण विप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने पटवारी से मिलकर प्रार्थीनीगण को वारिसान न बताकर गलत व अवैध रूप से अपने नाम से तस्दीक करवाया गया जो खारिज किये जाने योग्य है। कि प्रार्थीनीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 का अपने हिस्सेनुसार कब्जा व काश्त है तथा इसी तरह से मौके पर अन्य पक्षकारान का कब्जा –काश्त चला आ रहा है। लेकिन प्रार्थीनीगण अनपढ़ व औरत जात होने के कारण इतने दिनों तक उन्हें अपना नाम खातेदारी में दर्ज नहीं होने का ज्ञान नहीं रहा और न ही विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 ने प्रार्थीनी के कब्जा –काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी की आज से करीबन 1 माह पूर्व विप्रार्थी 1 से 4 ने अपने नाम से प्रविष्ट का अनुचित लाभ उठाते हुऐ वादग्रस्त आराजी में से कुछ भूमि का बेचान करने पर उतारू हुए। अतः प्रार्थीनीगण के पक्ष में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा, अस्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीनीगण विरूद्ध विप्रार्थी संख्या 1 से 7 इस आशय की जारी फरमावें कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल खरंटिया के ग्राम धोलाडेर के खसरा नम्बर 33, 34, 34/1, 34/2, 34/3 रकबा क्रमशः 0.0243, 27 5060, 6.9493, 0.0647, 0.2670 हेक्टेयर में प्रार्थीनीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलअन्दाजी करें, और न ही अन्य किसी तरीके से प्रार्थीनीगण के खेत को नुकसान पहुंचावे, न ही वादग्रस्त भूमि का बेचान/दान करें, राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति रखे जाने का हुक्म फरमावें।

इसके विपरीत वकील विप्रार्थी की बहस है कि प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदारी का खेत उपरोक्त खसरों का आया हुआ है। जिसमें वादीनी का कोई कब्जा–काश्त नही है तथा हम विप्रार्थीगण का जमाबदी में अपना हिस्सेनुसार रकबा दर्ज है। और स्व. खेताराम के नाम से दर्ज हुआ है। प्रार्थीया गलत रुप से लिखमाराम का बता रही है जो गलत है। प्रार्थिया अपने दस्तावेजों से साबित करें। कि खेताराम के फौतगी का नामान्तकरण ग्राम धोलाडेर में नामान्तकरण सख्या 14 राजस्व अधिकारी के द्वारा वारिसान के जांच करके और सरपंच के द्वारा उक्त नामान्तकरण को पंचायत की आम बैठक में गांव के मोजिज लोगो के बीच सभी तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर स्वीकृत किया गया था। प्रार्थीया के समस्त कथन आधारहीन व गलत हैं। प्रार्थीया का उक्त खसरों पर कब्जा होने से और विप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा अपने हिस्से की भूमि का दान पत्र अपने पौत्रों को किया जा चुका है। और प्रार्थी को जब मौके पर कब्जा ही नही है तो से बेदखल करने व उनकी धमकी आदि देने का कथन किया जाना गलत है। इसलिये प्रार्थीया स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की हकदार नही है।अत विप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा अपने हिस्से का बेंचान/दान पत्र सहखातेदार को किया जा चुका है और प्रार्थीया को मौके पर कोई कब्जा–काश्त नही है। इसलिये प्रार्थीया स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की हकदार नही है। प्रार्थीया ने जो आवेदन पेश किया गया है जो गलत होने से अस्वीकार कर खारिज फरमाने का आदेश प्रदान करावे।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन व [illegible] जिसमें पाया कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 4 का पैतृक व सामल [illegible] कब्जा [illegible] श्त का खेत ग्राम धोलाडेर के खसरा नम्बर 33, 34, 34/1, 34/2, 34/3 रकबा [illegible] 0.0243, 27 5060, 6.9493, 0.0647, 0.2670 हेक्टेयर आया हु[illegible] बन्दोबस्त के रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि मुतवफी खेताराम के [illegible] म से पर्चा लगान जारी हुआ। खेताराम के वारिसान द्वारा अपने नाम से राजस्व रेकर्ड में अंकन अनुसार अपने हिस्से से ज्यादा की भूमि का जरिये दान पत्र करवाई गई रजिस्ट्री को निष्प्रभावी एवं शून्यकरण मूल वाद में जरिये साक्ष्य/सबूत के आधार पर विधिवत सुनवाई के निपटारा किया जाना है। यदि दौराने विचारण वाद प्रार्थीया को कब्जा शुदा खातेदारी भूमि से बेदखल करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:40:22 IST
Reason: SelfAttested

की कोशिश की जाती है अथवा विवादित भूमि की मौके स्थिति में भी फेरबदल हो जाता है, तो प्रार्थी को क्षति होनी की संभावना बढ़ती है एवं पक्षकारान के मध्य विवाद बढ़ने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रथम दृष्यता प्रार्थीया अपनी इस्तदुआ अनुसार राहत प्राप्त करने का हकदार प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।ऐसी स्थिति में प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश को ताफैसला मूल वाद कन्फर्म किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण को मूलवाद के ताफैसला तक जरिये स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे मौजा ग्राम धोलाडेर के खसरा नम्बर 33, 34, 34/1, 34/2, 34/3 रकबा क्रमशः 0.0243, 27.5060, 6.9493, 0.0647, 0.2670 हेक्टेयर भूमि के संबंध में प्रार्थीनीगण के हिस्से तक की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं कर राजस्व रेकर्ड एवं उसके मौके की यथास्थिति बनायें रखें।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 23.01.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:40:22 IST
Reason: SelfAttested